**<u>न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।</u>**

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–1054/2023

**<u>राज्य बनाम शिवविलास</u>**

**<u>दिनांक–07.06.2024</u>**

पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिंदु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा केस को खोलते हुए उन सभी साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से वे अभियुक्त पर आरोप साबित करना चाहते हैं और इस आधार पर यह तर्क किया गया कि कि अभियुक्त **शिवविलास** के विरूद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप बनाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का आरोप बनाया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क का खंडन किया गया तथा यह तर्क रखा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उन्हें उन्मोचित किया जाये।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्रियों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498A, 304B, वैकल्पिक धारा–302 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त शिवविलास पर तदनुसार आरोप विरचित किया जाये।

अभियुक्त **शिवविलास** के विरूद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं विकल्प में धारा 302 के अंतर्गत आरोप पृथक पृष्ठ विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 02–07–2024 को पेश हो।

**(अमित कुमार पाण्डे)**
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2024.07.04 10:27:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli

**<u>न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।</u>**

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–1054/2023

**<u>राज्य बनाम शिवविलास</u>**

**<u>आरोप</u>**

मैं, अमित कुमार पाण्डे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली आप अभियुक्तगण **शिवविलास** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

**प्रथम–** यह कि वादी मुकदमा पितम्बर की लड़की सुमन की शादी लगभग पांच वर्ष पूर्व शिवविलास पुत्र सुखदेव के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद से आप लोगों ने वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा– 498A** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीय–** यह कि दिनांक 03–04–2023 को समय करीब 2:00 बजे रात्रि आप अभियुक्तगणों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी मुकदमा की पुत्री सुमन की दहेज हत्या कारित कर दिया गया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा– 304B** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**<u>वैकल्पिक आरोप</u>**

यह कि दिनांक 03–04–2023 को समय करीब 2:00 बजे रात्रि आप अभियुक्तगणों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री सुमन की हत्या कर दिया गया। इस प्रकार आपने **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा–302** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीय**– यह कि आप अभियुक्तगणों ने वादी मुकदमा की पुत्री सुमन से अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व फ्रिज की मांग की। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध किया है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4 के अधीन दंडनीय अपराध किया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान के अंतर्गत है।

एतद्द्वारा, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**<u>दिनांक–07.06.2024</u>**

**(अमित कुमार पाण्डे)**
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया, उसने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा विचारण चाहा।

**<u>दिनांक–07.06.2024</u>**

**(अमित कुमार पाण्डे)**
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।